कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा भदोही

पत्र संख्याः बीडा/सम्पत्ति–सात/ (   )/   /   दिनांक ....

सेवा में,

....

....

....

विषयः–भदोही व्यावसायिक सह–आवासीय मार्ट में प्रथम तल की दुकान संख्या के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि भदोही व्यावसायिक सह आवासीय मार्ट में दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक .... को सम्पन्न नीलामी में प्रथम तल की दुकान संख्या–   आपकी सर्वोच्च बोली रू0 ....मात्र के आधार पर दुकान संख्या–   भदोही व्यावसायिक सह आवासीय मार्ट का आवंटन आपके पक्ष में रू0 .... मात्र पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक .... को स्वीकार कर लिया गया है। फलस्वरूप प्रथम तल की दुकान संख्या–   एतद् द्वारा निम्नाकिंत नियम एवं शर्तो के अधीन आपके पक्ष में आवंटित किया जाता है :–

1 आपके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली रू0..............................के सापेक्ष पंजीकरण व आबंटन मनीं की धनराशि के रूप में रू0.......................... प्राधिकरण कोष में जमा किया जा चुका है जिसको समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0.......................... मात्र आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि रू0............................का भुगतान आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि न जमा करने की स्थिति में एक वर्ष की तिमाही किस्तों में ब्याज सहित भुगतान करना होगा जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

2–(1)–दुकान की अनुमानित कीमत ....
(2)–कार्नर चार्ज 15 प्रतिशत
(3)–कुल धनराशि
(4)– नीलामी में बोली गई अन्तिम बोली
(5)– जमा पंजीकरण एवं आवंटन धनराशि
(6)– अवशेष धनराशि ....
(7)– 12 प्रतिशत ब्याज 6 माह का ....
(8)– कुल धनराशि
(9)– प्रत्येक त्रयमासिक किस्तों की धनराशि
(10)–आबंटन पत्र जारी होने की तिथि.........................से एक माह के अन्दर दिनांक................ .तक प्रथम किस्त का भुगतान करना होगा ।

प्रथम किस्त की धनराशि के
साथ लीजरेन्ट की धनराशि रू0 दिनांक........................को।

द्वितीय किस्त की धनराशि रू0 दिनांक........................को।

तृतीय किस्त की धनराशि रू0 दिनांक........................को।

चतुर्थ किस्त की धनराशि रू0 दिनांक........................को।

2. निर्धारित समय–सीमा के अनुसार भुगतान न करने पर अथवा विलम्ब से भुगतान करने पर विलम्ब की अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। तीन किस्त भुगतान में विरत रहने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसके लिए किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

3. दुकान के सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि एवं अन्य शुल्कों का भुगतान होने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पट्टा विलेख आपके पक्ष में सम्पादित किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय यथा–स्टाम्प शुल्क, लिखाई–पढ़ाई व पंजीकरण का समस्त व्यय आपको वहन करना होगा।

4. प्रतिफल की उपर्युक्त धनराशि दुकान के अनुमानित क्षेत्रफल पर आधारित है। यदि कब्जा हस्तान्तरित करते समय दुकान के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होती है तो तदनुसार ही प्रतिफल की धनराशि में समानुपातिक रूप से कमी या वृद्धि स्वतः हो जायेगी और तदनुसार ही धनराशि का भुगतान करना होगा।

5. दुकान के सामने की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण अनुमन्य न होगा और ऐसा अतिक्रमण पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। निर्मित दुकान में किसी प्रकार के मादक पदार्थ का व्यवसाय सदैव प्रतिबन्धित रहेगा।

6. उक्त भदोही व्यवसायिक सह आवासीय मार्ट की सेवाओं की देखरेख हेतु आवंटी की सोसायाटी का गठन होने तथा उन्हें सम्बन्धित सेवायें हस्तान्तरित किये जाने तक आपको प्राधिकरण के निर्देशानुसार निर्धारित दरों पर सर्विस चार्ज का भुगतान प्राधिकरण कोष में करना होगा।

7– दुकान के पंजीकरण/आबंटन/कब्जा हस्तान्तरण आदि के सम्बन्ध में कोई भी विवाद ज्ञानपुर स्थित सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित तिथि तक प्राधिकरण कोष में जमा करने का कष्ट करें ताकि दुकान की रजिस्ट्री एवं कब्जा हस्तान्तरण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अमिताभ रंजन दास)
प्रभारी सम्पत्ति